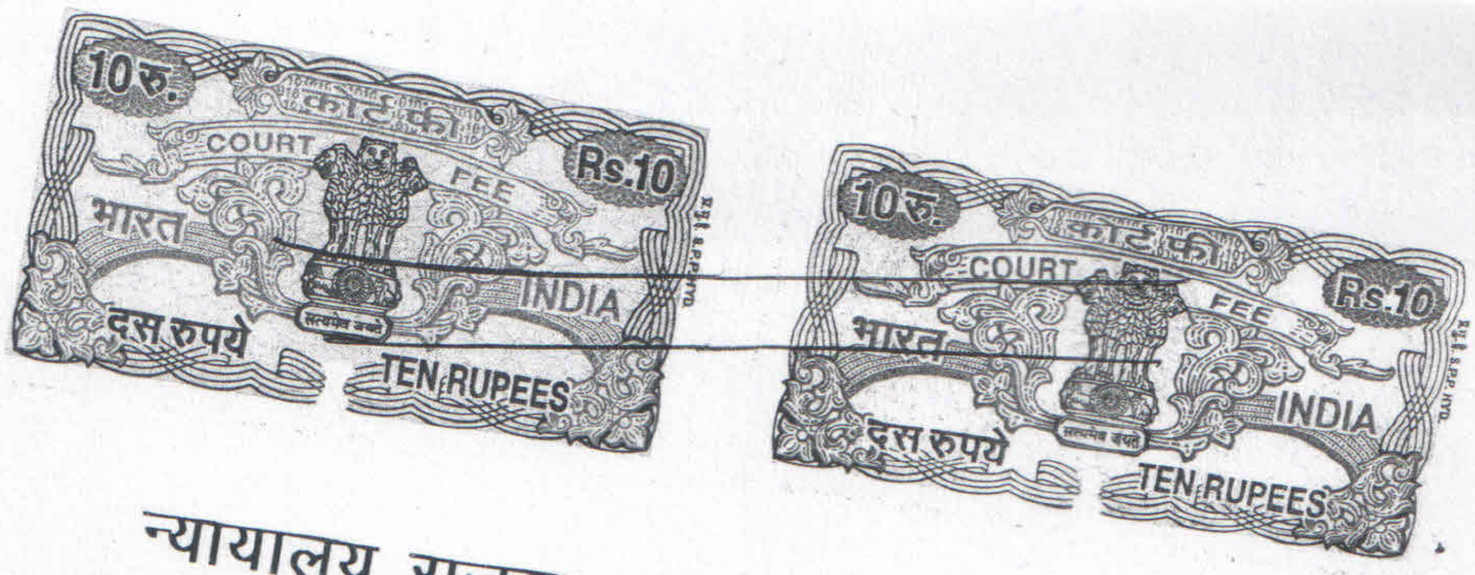

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरावलोकन रिव्यू 336-PBR/14

दि. 25-1-14 को प्रस्तुत

25-1-14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

भगवानदास पुत्र शामनदास

निवासी–27 ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड

बैरागढ़ तहसील व जिला–भोपाल

विरूद्ध

नंदलाल पुत्र झामनदास लालवानी

निवासी–24 आर.जी. रोड़ ईदगाह टिलन

तहसील व जिला–भोपाल

पुनरावलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2013 (जिसकी जानकारी दिनांक 19–12–2013 को नियत पेशी पर हुई) पारित द्वारा अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. निगरानी प्रकरण क्रमांक 3587–पी.बी.आर./12.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 336–अध्यक्ष / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2014	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत निगरानी में भी अतिरिक्त साक्ष्य ग्राह्य की जा सकती है, परन्तु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23–10–2013 को आदेश पारित कर अतिरिक्त साक्ष्य ग्राह्य करने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अतः पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23–10–2013 निरस्त किया जाये । तर्क के समर्थन में 1991 राजस्व निर्णय 192 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया । 2 प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान निगरानी में लागू नहीं होते है और न ही म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य ग्राह्य की जा सकती है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2013 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाये ।	

आमान दास | नेदलाल
रिव्यू 336/PBR/14 BPC

3 1991 राजस्व निर्णय 192 नौखिया (श्रीमती) विरूद्ध मुश्ताक अहमद तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रथमतः निगरानी गुणदोष पर सुनना चाहिये, तत्पश्चात अतिरिक्त साक्ष्य की ग्राह्यता के प्रश्न का विनिश्चयन करना चाहिये । उक्त न्यायिक सिद्धांत एआईआर 1951 (सु0को0) 193 पर आधारित होकर प्रतिपादित किया गया है । अतः माननीय उच्चत्तम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान को लागू होना मान्य किया गया है । अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2013 निरस्त किये जाने योग्य है ।

4 उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2013 निरस्त किया जाता है । पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष